न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 106/13/आवेदन 212आरटीए /

1. सांवरमल पुत्र पूर्णमल जाति
2. श्रवण कुमार पुत्र बनवारी
3. इन्द्रचन्द पुत्र बनवारी
4. राजकुमार पुत्र बनवारी
5. मुरारीलाल पुत्र बनवारी
6. मगनी देवी बेवा बनवारी

समस्त जाति ब्रहमण निवासी रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

= प्रार्थीगण

ब ना म

1. रूधनाथ प्रसाद पुत्र नाथूराम
2. पूर्णमल पुत्र नाथूराम
3. आनन्दीलाल पुत्र नाथूराम
4. सुरेश कुमार पुत्र नाथूराम
5. चन्दा देवी पुत्री नाथूराम
6. भगवती देवी पुत्री नाथूराम
7. गीता देवी पुत्री नाथूराम
8. प्रभाती देवी पुत्री नाथूराम
9. टीमकू देवी पुत्री नाथूराम
10. मंजू देवी पुत्री नाथूराम

    समस्त जाति ब्राहमण निवासी रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. पटवारी, पटवार हल्का रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
12. उप–पंजीयक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
13. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

= अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री भवानी सिंह शेखावत वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर सें।

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनाक :– 03.02.2020

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 478 रकबा 0.68 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 11 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा रहे है, वाके ग्राम रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमिया आवेदकगण के पूर्वज रामधन अपने जीवन काल काबिज होकर काश्त करता रहा था रामधन की मृत्यु उपरान्त आवेदक संख्या 1 का पिता एवं आवेदकगण संख्या 2 ता 6 का दादा व ससुर अपने जीवन प्रर्यन्त काबिज काश्त रहा तथा वर्तमान में आवेदक संख्या 1 अपने 1/2 हिस्सा एवं आवेदकगण संख्या 2 ता 6 अपने हिस्सा 1/2 पर शान्ति पूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। एवं काबिज काश्तकार एवं खातेदार है। उक्त भूमियो की खातेदारी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 10 में सेटलमेन्ट के समय अधिकारीयो से साज कर कतई गलत रूप से अपने नाम करवा ली है जबकि मौके पर उक्त भूमि पर हमेशा से आवेदकगण एवं उनके पूर्वज की कब्जा काश्त चली आ रही है। वादग्रस्त कृर्षि भूमि की खातेदारी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 10 के नाम दर्ज रहने से इनके मन में बेईमानी आ गयी है तथा वे आये दिन अपने नाम खातेदारी दर्ज होने की आड मे आवेदकगण को बेदखल करने की एवं भूमियो को बेचान करने धमकीया दे रहे है जबकि इनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अनावेदकगण यदि ऐसा करने में कामयाब हो गये तो आवेदकगण को इस कदर असीम क्षति होगी जिसकी पुर्ति किया जाना कानूनन सम्भव नहीं होगा। आवेदकगण का मामला सुदृढ है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के ही पक्ष में है आवेदक में वर्णित भूमियों का अन्यत्र हस्तांतरण करने व मौका स्थिति तब्दील करने से आवेदकगण को अपूर्तनीय क्षति होगी अतः आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अप्रार्थीगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे कि उक्त वर्णित भूमियों खसरा नम्बर 478 रकबा 0.68 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 11 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा रहे है, वाके ग्राम रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की नींव सींव तोड़ फोड़ करने, भूमियो को बेचान करने, रहन दर्ज करने तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति में परिवर्तन करने आदि सें बाज रहे।
2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं0 1 लगायत 4 की ओर सें वकील श्री भवानी सिंह शेखावत हाजिर आये तथा 5 लगायत 10 का हकत्याग के कारण हजफ किया गया व प्रतिवादी संख्या 11 का नाम हजफ करने के लिए वकील प्रार्थी ने आदेशिका पर सहमति जाहिर की शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आवेदन पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। **चूंकि आवेदकगण**

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

के पूर्वज रामधन तथा रामधन की मृत्यु उपरान्त आवेदक संख्या 1 का पिता एवं आवेदकगण संख्या 2 ता 6 का दादा व ससुर का नाम पत्रावली में पेश की गई गिरदावरियों में अंकित है अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला सुदृढ है। सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में ही साबित होता है। अतः प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को तादौराने वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 478 रकबा 0.68 है0 जिसके पुराने खसरा नम्बर 11 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा रहे है, वाके ग्राम रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व संबंधित मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(अशोक कुमार)
दांतारामगढ (सीकर)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner